29/1/2026 आज पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अभिभाषक उपस्थित आए।प्रकरण में पारित प्रारंभिक डिक्री के अनुसरण में अंतिम डिक्री (Final Decree) की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत तहसीलदाररिपोर्ट एवं वर्तमान राजस्व अभिलेख (जमाबंदी) का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन एवं वर्तमान तथ्यात्मक स्थिति के विश्लेषण पर निम्न तथ्य न्यायालय के संज्ञान में आए हैं:

मूल वाद पत्र में संख्या 171 के कुल 08 खसरा नंबरों का उल्लेख किया गया था। प्रारंभिक डिक्री में खसरा नंबर 345,346, 347,348,381,384,496 497 का विभाजन सह-काश्तकारों के मध्य, वाद पत्र एवं तत्कालीन जमाबंदी में अंकित हिस्से के अनुसार किये जाने का आदेश पारित किया गया था।वर्तमान संवत 2074-77 की जमाबंदी का गहन अवलोकन करने परयह परिलक्षित होता है कि दावा दायर करते समय वादी का जमाबंदी खाता संख्या भिन्न था जिसमें कुल 08 खसरा नंबर सम्मिलित थे, जबकि वर्तमान जमाबंदी में दूसरा ~~संख्या~~ खसरा 496 एवं 497 का पृथक खाता निर्मित हो चुका है। उक्त खाते का विभाजन कब और किस आदेश के तहत हुआ, इस बाबत पत्रावली पर कोई साक्ष्य या राजस्व रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।।वर्तमान जमाबंदी और वाद पत्र में वर्णित तथ्यों में भारी विरोधाभास एवं तात्विक परिवर्तन (Material Change in Facts) उत्पन्न हो गए हैं।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वाद पत्र में वर्णित तथ्यों और वर्तमान राजस्व अभिलेखों (जमाबंदी) की स्थिति में पूर्णतया भिन्नता है। ऐसी स्थिति में, पूर्व में पारित प्रारंभिक डिक्री के आधार पर, परिवर्तित परिस्थितियों में अंतिम डिक्री (Final Decree) तैयार किया जाना विधिक रूप से संभव एवं व्यावहारिक नहीं है। दावा तकनीकी एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण (Infructuous/Non-executable) हो गया है।वाद को इस सीमा तक अव्यव्हार्य हो जाने के कारण ख़ारिज किया जाता है

वादीगण सहित सभी संबंधित खातेदारों को यह स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि वह वर्तमान प्रचलित जमाबंदी एवं विद्यमान खातेदार वर्तमान स्थिति के आधार पर यदि वे चाहे तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अंतर्गत पुनः विभाजन का नया वाद पृथक रूप से दायर कर सकते हैं। जहां उनकी वर्तमान स्थिति एवं अधिकारों का विधि अनुसार विचार किया जाएगा पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमिल नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)